सं0–1079/XXV(1)(3) 2004–201/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 01 फरवरी,2005

विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दसऊ एवं खबऊ जनपद देहरादून के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण,उत्तरांचल के सं0–7प/1/एस.ए.डी./28/2004/27578 दिनांक 16.11.2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दसऊ एवं खबऊ जनपद देहरादून के भवन निर्माण कार्य हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 63,16,000=00 के आगणन डी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल रू0 58,95,,000.00 (रू0 अठावन लाख पिचानवे हजार मात्र)की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे व्यय हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 21,06,000–00 (रू0 इक्कीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक,पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षक अभियन्ता स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगनन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय, तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवंश परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोगक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है , तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी तथा 31.03.2005 को बची धनराशि किसी भी स्थिति में बैंक में नही रखी जायेगी ।

16– स्वीकृत की जा रही धनराशि से पूर्ण उपयोग व कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति बनाये रखने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

17– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाये रखने हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।

18– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91–जिला योजना–04 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1063/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 19.02.2005 से प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0 1079/XXVIII(3)2004-201/2004 दिनांक 01.3.05 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क. सं0	योजना का नाम	जनपद का नाम	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2004-05मे स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दसऊ का भवन निर्माण।	देहरादून	पेयजल निगम	25.75	10.00
2	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खयऊ का भवन निर्माण।	देहरादून	पेयजल निगम	33.20	11.06
			योग-	58.95	21.06

(रू0 इक्कीस लाख छः हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।